कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष–कार्यालय 07853–220395 ईमेल zpbijapur.cg@gov.in

// विज्ञापन //

क्रमांक /3865/ जि.पं. /स्था. /2024–25 बीजापुर, दिनांक 20/01/2025

मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र क्रमांक 3357/वि–6/NRLM/HR&A/2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 17/01/2025 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर संविदा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से दिनाँक 20/02/2025 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कुल पद	रिमार्क
		अ.ज.जा. (मुक्त)		
1	2	3	4	5
1	क्षेत्रीय समन्वयक	01	01	

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :–

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनाँक 20/02/2025 को अपरान्ह 5:00 तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते है। व्यक्तिगत रुप से, सीधे अथवा ई–मेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेंगें। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
7. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9–1/2012/1–3/दिनाँक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
9. संविदा नियुक्त अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व की सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रुप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान, या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

Scanned with OKEN Scanner

13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा।
14. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। अन्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।
16. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी कोई सूचना नही दी जावेगी।
17. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
18. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
19. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
21. आवेदन का विस्तृत प्रारुप कार्यालयीन सूचना पटल के अतिरिक्त जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है।
22. नियुक्ति के संवंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बीजापुर

क्रमांक /3865/जि.पं./स्था./2024–25
बीजापुर, दिनांक 29/01/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला बीजापुर। उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाइट www.bijapur.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय जिला बीजापुर को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन को 2 प्रादेशिक एवं 1 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
4. समस्त तहसीलदार जिला बीजापुर। सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला बीजापुर। सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
6. कार्यालयीन सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बीजापुर

Scanned with OKEN Scanner

पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :–

क.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्रीय समन्वयक	26490/–	शिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव – स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओ में गरीबी उन्मूलन/आजीविका परियोजनाओ में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बीजापुर

Scanned with OKEN Scanner